

PART - III

हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 मई, 2011

संख्या का०आ० 42/के०आ० 1/2010/धा० 53/2011.—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1), की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श के बाद हरियाणा सरकार, खाद्य तथा पूर्ति विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 38/के०आ० 1/2010/धा० 53/2011, दिनांक 5 अप्रैल, 2011, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011, कहे संक्षिप्त नाम जा सकते हैं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1);

(ख) “निर्देश मानक प्रयोगशाला” से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला जहां निर्देश मानक, द्वितीय मानक और कार्यकारी मानक अनुरक्षित किये जाते हैं;

(ग) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित, शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिये गये हैं।

3. अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले के सिवाय, प्रत्येक कठिपय मामलों संबंधार, व्यवहार या संविदा में, या संरक्षण के लिए मात्रा की घोषणा— में बाटों या मापों या संख्याओं का उपयोग।

(क) यदि वस्तु ठोस, अर्ध-ठोस, विस्कास या ठोस और द्रव का मिश्रण है, तो वजन की इकाई के रूप में होगी ;

(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो धारा 10 लम्बाई की इकाई के रूप में होगी ;

- (ग) यदि वस्तु का क्षेत्रीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो क्षेत्र की इकाई के रूप में होगी ;
(घ) यदि वस्तु द्रव है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है, तो आयतन की इकाई के रूप में होगी ; या
(ड) यदि वस्तु का विक्रय संख्या में किया जाता है, तो संख्या की इकाई के रूप में होगी ।

विनिमता, मरम्मत करने वाला और व्यवहारी को लाइसेंस देना।
धारा 23

4. (1) प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यवहारी लाइसेंस जारी करने के लिये अनुसूची-II, III या IV, जैसी भी स्थिति हों, में नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान को आवेदन करेगा :

परन्तु विनिर्माता द्वारा किसी बाट या माप, जिसका विनिर्माण उसके द्वारा किया गया है और उसमें विनिर्माण के राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में उपयोग किया जाता है, कि मरम्मत करने के लिये किसी मरम्मतकर्ता लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु विनिर्माता को मरम्मत करने के बारे में सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को, अग्रिम में सूचित करना होगा ।

(2) प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मत करने वाला या व्यवहारी लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व तीस दिन के भीतर अनुसूची-V, VI या VII, जैसी भी स्थिति हों, में नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान को लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन करने हेतु नियन्त्रक द्वारा अनुमत किया जाता है ।

(3) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाला या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस अनुसूची VIII, IX या X, जैसी भी स्थिति हों, में दिये गये समुचित प्ररूप में होगा ।

(4) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाला या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस अनुसूची X में यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर एक कैलेन्डर वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये विधिमान्य होगा और एक वर्ष से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) लाइसेंस में संशोधन या लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये देय फीस अनुसूची XI में यथा विनिर्दिष्ट लाइसेंस फीस की आधी होगी।

(6) नियंत्रक अनुसूची XII में निर्दिष्ट प्ररूप अनुज्ञाप्त विनिर्माताओं, व्यवहारियों और मरम्मत करने वालों का एक रजिस्टर रखेगा।

(7) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञाप्त प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी, लाइसेंस के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार ऐसी कार्राईशाला/उपस्कर/औजार/रजिस्टर आदि, जैसी भी स्थिति हो, बनाये रखेगा।

(8) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञाप्त प्रत्येक मरम्मतकर्ता, प्रत्येक लाइसेंस के लिये राज्य सरकार को ऐसी प्रतिभूति जमा करेगा जैसा अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट है।

(9) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस, जहाँ लाइसेंसी कारबार किया जाता है, वहाँ उन परिसरों में किसी सहजदृश्य स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या नवीकृत लाइसेंस न तो विक्रय योग्य होगा और न ही हस्तान्तरणीय होगा।

5. (1) नियंत्रक यदि पर्याप्त कारणों से उसका समाधान हो जाता है दिये गये लाइसेंस के निलम्बन और निरस्तीकरण।
कि इस अधिनियम के अधीन दिये गये, नवीकृत किये गये या बनाये रखे गये किसी लाइसेंस के धारक ने लाइसेंस दिये जाने, नवीकरण किये जाने या बनाये रखने के लिए किसी आवेदन पत्र के किसी कथन में या उसके सम्बन्ध में कोई सूचना दी है, जो कि किसी तात्त्विक विशिष्टियों में गलत या असत्य है, या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो ऐसा लाइसेंस निलम्बित कर सकता है : धारा 23

परन्तु ऐसा कोई भी लाइसेंस तब तक निलम्बित नहीं किया जायेगा, जब तक उसने धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(2) नियंत्रक इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व जाँच करवा सकता है :

परन्तु जहाँ निर्दिष्ट जाँच लाइसेंस के निलम्बन की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर जाँच पूर्ण नहीं होती है, तो ऐसा निलम्बन उक्त अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगा।

(3) नियंत्रक, ऐसी किसी जाँच के बाद जिसे वह उचित समझें, यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी लाइसेंस धारक ने उपनियम (1) में उल्लिखित प्रकृति की कोई असत्य या गलत सूचना दी है या उस उपनियम में उल्लिखित किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसे लाइसेंस को निरस्त कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई भी लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसका लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया गया है, ऐसे निलम्बन के तत्काल बाद से ऐसे लाइसेंसी के रूप में कार्य करना बन्द कर देगा और ऐसे लाइसेंसी के रूप में तब तक व्यवसाय पुनः आरम्भ नहीं करेगा जब तक ऐसे निलम्बन का आदेश निष्प्रभावी न कर दिया जाये अथवा हो जाये।

(5) प्रत्येक लाइसेंसी जिसका लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया गया है, ऐसे निलम्बन या निरस्तीकरण के बाद, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे लाइसेंस को उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा ऐसा लाइसेंस दिया गया था अभ्यर्पित कर देगा।

(6) प्रत्येक लाइसेंसी जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, ऐसे निरस्तीकरण की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अन्दर नियंत्रक पर्याप्त कारण बताये जाने पर ऐसी बढ़ायी गयी अवधि जो तीन मास से अनधिक हो, के अन्दर ऐसे बाटों और मापों का जो ऐसे निरस्तीकरण की तिथि को उसके अधिकार, अधिकारका या नियंत्रण में थे, को अनुज्ञात करेगा, निस्तारण करेगा, और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर नियंत्रक लिखित रूप में इस निमित्त उनको जब्त करेगा और निपटान करेगा।

विनिर्माताओं

द्वारा अभिलेख

मरम्मत करने वाला या व्यवहारी अनुसूची XIV, XV या XVI, जैसी भी स्थिति हों,

का रखा जाना।

धारा 17

6. अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञात प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यवहारी अनुसूची XIV, XV या XVI, जैसी भी स्थिति हों, में निर्दिष्ट समुचित प्ररूप में अभिलेख और रजिस्टर रखेगा तथा नियंत्रक को ऐसी नियतकालिक सूचनायें/विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

बाटों या मापों

का सत्यापन

और निरीक्षण।

धारा 24

7. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप के सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में उस दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस को सत्यापन देय बनता है :

परन्तु जहाँ कोई बाट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिये, वहाँ वह व्यक्ति, जो ऐसे बाट या माप का उपयोग कर रहा है, उस दिनांक से, जिस को सत्यापन देय बनता है, को कम से कम तीस दिन पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(2) जहाँ कोई बाट या माप ऐसा है कि वह उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिये, वहाँ विधिक माप विज्ञान

अधिकारी ऐसे बाट या माप की अवस्थिति के स्थान पर उसके सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठायेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपभोक्ता ऐसी सुविधायें देगा जैसा नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(4) सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बाट या माप स्वयं में पूर्ण होगा ।

(5) प्रत्येक बाट या माप साफ-सुथरी हालत में स्थापित किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी स्वामी या प्रयोगकर्ता से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा ।

(6) कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप का, जिसका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशियत है या सम्भाव्य है, निरीक्षण और परीक्षण करने के लिये अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर यथासम्भव बार-बार निरीक्षण करेगा ।

(7) विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप पर लगाये गये स्टैम्प को मिटा देगा, यदि निरीक्षण के समय पाया जाता है कि ;

(क) कोई बाट या माप जिसका पुनः सत्यापन होना था, ऐसे पुनः सत्यापन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया ;

(ख) कोई बाट या माप जो अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है :

परन्तु जहाँ विधिक माप विज्ञान अधिकारी की राय है कि ऐसे बाट या माप में त्रुटि या अशुद्धि ऐसी नहीं होती है कि स्टैम्प मिटाया जाना तत्काल आवश्यक है, तो वह बाट या माप में पायी गयी त्रुटि या अशुद्धि की सूचना उपभोक्ता को देगा और उपभोक्ता से ऐसे समय के अन्दर जो आठ दिनों से अधिक नहीं होगा, त्रुटि या अशुद्धि को हटाने के लिये कहेगा और -

(i) यदि प्रयोगकर्ता उस अवधि में त्रुटि या अशुद्धि को हटाने में असफल रहता है तो स्टैम्प मिटा देगा ; या

(ii) यदि त्रुटि या अशुद्धि को इस प्रकार हटा दिया जाता है कि वह बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप हो जाये तो ऐसे बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन करेगा ।

स्पष्टीकरण:- किसी बाट या माप पर स्टैम्प को मिटाने के लिए, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के ऐसे बाट या माप को जब्त करने के अधिकार को अलग या कम नहीं करेगा।

बाटों या मापों
को स्टाम्पित
करना।
धारा 24

8. (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, यदि निरीक्षण और सत्यापन के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है, तो प्रत्येक बाट या माप को नियंत्रक द्वारा जारी एक ही प्रकार की डिजाइन की ऐसी स्टैम्प से स्टाम्पित करेगा, जिसमें प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जो उसे स्टाम्पित करता है, आबंटित संख्या को सूचित करेगा:

परन्तु, यदि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टैम्प लगाना बांछनीय या साध्य नहीं है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा नियंत्रक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा निर्देश दिया जाये।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी, सिवाय उस दशा के जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो, चिह्नित करेगा।

स्पष्टीकरण:- कोई वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जायेगा जिसमें से प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च मास की होगी जिसे 'क' के रूप में चिह्नित किया जायेगा, द्वितीय तिमाही अप्रैल, मई और जून मास की होगी जिसे 'ख' के रूप में चिह्नित किया जायेगा, तृतीय तिमाही जुलाई, अगस्त और सितम्बर मास की होगी जिसे 'ग' के रूप में चिह्नित किया जायेगा और चतुर्थ तिमाही अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी जिसे 'घ' के रूप में चिह्नित किया जायेगा।

(3) सत्यापन और स्टाम्पन पूरा होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी अनुसूची XVII में दिये गये प्ररूप में सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) जहाँ कोई सत्यापन प्रमाण-पत्र गुम, या नष्ट या विकृत हो जाए वहाँ सत्यापन प्रमाण-पत्र का धारक सत्यापन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा जिसने प्रमाण-पत्र जारी किया। द्वितीय प्रमाण-पत्र की प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ सौ ३ की फीस संलग्न की जायेगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करेगा जिस पर "द्वितीय प्रति" चिह्नित होगा ।

9. (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में बाट या माप सत्यापन और के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस वह होगी जो अनुसूची XVIII में स्टाम्पन के लिए फीस ।

धारा 24

(2) यदि बाट या माप के उपभोक्ता के अनुरोध पर सत्यापन विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय से भिन्न किसी परिसर पर किया जाता है, तो अनुसूची XVIII में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायेगी और बाट या माप का प्रयोगकर्ता परिसर का निरीक्षण करने के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किये गये व्यय का, जिसके अन्तर्गत मानक और अन्य उपकरण के परिवहन और उसकी उठाई-धराई का व्यय भी है, भुगतान करेगा जो कम से कम ₹ 100 के अध्यधीन होगा :

परन्तु निम्नलिखित बाट या माप के यथावत सत्यापन और स्टाम्पन के लिए कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जायेगी , -

- (i) पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य द्रवों के लिये यान की टंकी (वैहिकिल टैंक), पानी से भिन्न अन्य द्रवों की मीटर (फ्यूल डिस्पेन्सर, इवित पेट्रोलियम गैस, दूध डिस्पेन्सर), सम्पीड़ित (कम्प्रेस्ड) प्राकृतिक गैस डिस्पेन्सर, गैर-स्वचालित तौल यंत्र जैसे वेब्रिज, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग यंत्र, स्वचालित रेल वेब्रिज, स्वचालित असतत योगीकरण तौल यंत्र, और ऐसे अन्य बाट या माप जिन्हें उनके स्थान से हटाया नहीं जा सकता, और हटाया नहीं जाना चाहिए ;
- (ii) ऐसे बाट या माप के विनिर्माता या व्यवहारी के परिसर में बाट या माप ।

(3) यदि कोई बाट या माप स्टैम्प की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुसूची XVIII में निर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये देय होगी ।

(4) किसी विनिर्माता या व्यवहारी के स्टैंक में किसी बाट या माप के, उस दिनांक से जब उस पर अन्तिम बार स्टाम्पन किया गया था, पुनः स्टाम्पन के लिये कोई फीस देय नहीं होगी, परन्तु जब मूल स्टैम्प मिटा न दी गई हो ।

(5) कोई बाट या माप जिसे सत्यापन/निरीक्षण पर ठीक न पाया जाये समायोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को उसमें पायी गई त्रुटियों की, उसे जानकारी देते हुए, और उन त्रुटियों को आठ दिन से अधिक अवधि के भीतर दूर करने की उससे अपेक्षा करते हुए लौटा दिया जायेगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया गया हो, तब ऐसे बाट या माप का अनुसूची XVIII में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर सत्यापन किया जायेगा और यदि ठीक पाया जाये तो उसे स्थापित किया जायेगा।

फीस का संग्रहण और उसका कोषागार में जमा किया जाना।
धारा 24

10. (1) सत्यापन या पुनः सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को उसके द्वारा देय फीस की सूचना देगा और जैसा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया जाये उस रीति से उसे प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रसीद देगा, ऐसी रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस नियम के अधीन देय फीस की वसूली ऐसी रीति में की जा सकेगी जैसा नियंत्रक द्वारा निर्देशित की जाये।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा जिसे दिन प्रतिदिन लिखा जायेगा और उसमें उस दिन के दौरान संग्रह की गई फीस और अन्य प्रभार की धनराशि दिखायी जायेगी।

(3) सप्ताह के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये समस्त भुगतान सरकारी कोषागार में समुचित "लेखा शीर्ष" के अधीन ऐसे दिनों को भुगतान किये जायेंगे जैसा नियंत्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये और उनकी रसीद प्राप्त की जायगी और उस आशय की सूचना नियंत्रक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जायेगी।

11. जो कोई इन नियमों के किसी उपबन्ध का, जिसके उल्लंघन के लिए किसी दण्ड का अधिनियम में पृथक् रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह जुमनि से दण्डनीय होगा, जो पाँच हजार रुपये के लिए शासित। धारा 53

12. (1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रत्येक अपील अनुसूची XIX में निर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत की जायेगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति उसके साथ लगाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार को अपील करने के लिये 500 की फीस का तथा नियंत्रक को अपील करने के लिये 200 की फीस का नगद द्वारा या उक्त

अपील का प्ररूप।
धारा 50

धनराशि की कोर्ट फीस टिकट लगाकर, जैसी भी स्थिति हों, भुगतान किया जायेगा।

13. अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के प्रशमन हेतु फीस वह अपराधों के होगी जो अनुसूची XX में विविरिद्दि है।

धारा 48

14. हरियाणा बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1995, इसके द्वारा, निरसन तथा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

अनुसूची-I

[देखिये नियम 3]

निम्नलिखित वस्तुएँ भार, माप या संख्या द्वारा बेची जायेगी जैसा कि वस्तु के सामने दिया गया है।

क्रम	वस्तु	क्या घोषणा बाट, माप या संख्या के रूप में या उनमें से दो या अधिक के रूप में अभिव्यक्त की जानी है।
1	2	3
1	ऐरोसाल उत्पाद	भार
2	द्रव के रूप में ऐसिड	भार या आयतन
3	समीडित या द्रवित गैस (किन्तु द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं)	भार और समतुल्य आयतन उल्लिखित तापमान और दबाव पर
4	मक्खन (जिसके अन्तर्गत मूंगफली मक्खन भी है), पनीर दही, घी	भार
5	विद्युत केबिल	लम्बाई या भार
6	विद्युत तार	लम्बाई या भार
7	बाढ़ लगाने के लिए तार	लम्बाई या भार
8	सुगन्ध रहित केश तेल	भार या आयतन
9	फल और सब्जी	संख्या या भार
10	भट्टी तेल	भार या आयतन
11	अलसी का तेल और अन्य बनस्पति तेल	भार या आयतन
12	भारी अवशिष्ट ईंधन तेल	भार
13	ओद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
14	मधु, माल्ट-सार, गोल्डन सिरप ट्रीकल	भार
15	आइसक्रीम और अन्य सदृश हिमशीतित उत्पाद	भार या आयतन
16	द्रव रसायन	भार या आयतन
17	द्रवित पेट्रोलियम गैस	भार

1	2	3
18	कील, लकड़ी के पेंच	संख्या या भार
19	पेन्ट(पेस्ट पेन्ट या ठोस पेन्ट से भिन्न) वार्निश और वार्निश स्टेन्स, इनेमल	आयतन
20	पापड़	संख्या और भार
21	पेस्ट पेन्ट/ठोस पेन्ट	भार
22	रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मधुर निर्मितियाँ	भार
23	तैयार वस्त्र	संख्या और आकार
24	सभी प्रकार के सॉस	भार
25	टायर और ट्यूब	संख्या
26	सूत	सूत का भार या लम्बाई

अनुसूची-II

[देखिये नियम 4(1)]

प्ररूप-एल.एम.-1

[विनिर्माता के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप]

सेवा में,

क्रम संख्या	प्रविष्टि	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1.	2.	3.	4.
1.	विनिर्माता समुद्धान(कनसर्न) का नाम जिसके लिये लाइसेंस बांधित है-		
2.	समुद्धान का पूरा पता। यदि परिसर स्वामित्व में/किराये पर/पट्टे पर लिया गया है तो आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।		
3.	कर्मशाला/कारखाना की स्थापना की दिनांक -		
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम (नामों) और पता (पते)-		
5.	कारखाने/दुकान/प्रतिष्ठान/नगरपालिका व्यवसाय लाइसेंस की रजिस्ट्रीकरण की दिनांक और वर्तमान संख्या-		
6.	वर्तमान में विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति-		
7.	विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बाटों तथा मापों की किस्म, अर्थात्		
	(i) बाट		
	(ii) माप		

- (iii) तौल के उपकरण
 (iv) प्रत्येक मामले में व्यौरे सहित माप के उपकरण
8. नियोजित/नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों
 की संख्या
 (i) कुशल
 (ii) अर्ध कुशल
 (iii) अकुशल
 (iv) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ
9. विनिर्मित किये जाने वाले बाटों और मापों
 पर उपयोग लगाए जाने के लिए आशायित
 मोनोग्राम या व्यापार चिह्न
10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उपसाधन जो
 बाटों, मापों आदि के विनिर्माण के लिये
 उपयोग में लाये जाते हैं, के व्योरे-
11. संधानशाला/कर्मशाला में सुविधाओं की
 व्यवस्थाओं का विवरण
 स्वामित्व में, या दीर्घकालिक पट्टे इत्यादि पर है -
12. अत्यावश्यक भागों आदि की इस्पात ढलाई और
 कठोरता परीक्षण के लिए सुविधायें या अन्य साधन -
13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता -
14. सरकार या वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का
 व्योरा । यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए - .
15. बैंकरों का नाम, यदि कोई हो -
16. वैट/बिक्रीकर पंजीकरण संख्या/सी०एस०टी० संख्या/
 व्यवसाय कर पंजीकरण संख्या/आय कर
 पंजीकरण संख्या -
17. क्या आपने इसके पहले भी विनिर्माता लाइसेंस
 के लिये आवेदन किया है ? यदि हां, तो कब
 और क्या परिणाम हुआ ?

18. (क) क्या विनिर्मित की जानी वाली प्रस्तावित मद
(मर्दों) को राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर
अथवा दोनों जगह विक्रय किया जायेगा ?
(ख) भारत सरकार से प्राप्त नमूना अनुमोदन का विवरण ।
(ग) आप अपने उत्पाद के नमूने, जिसके लिये
लाइसेंस चाहा गया है निरीक्षण के लिये कब
प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस नियंत्रक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति की तिथि : -----

आवेदन की क्रम संख्या : -----

निरीक्षण की तिथि : -----

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति: -----

स्थान.....

दिनांक

निरीक्षण अधिकारी के

हस्ताक्षर और पदनाम

नियंत्रक का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है :-

लाइसेंस संख्या

..... तक विधिमान्य।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-III

[देखिये नियम 4]

प्ररूप-एल.आर.-1

[मरम्मतकर्ताओं के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम संख्या	प्रविष्टि 1.	आवेदकों द्वारा भरा जाएगा 2.	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी 4.
1.	लाइसेंस चाहने वाले समुत्थान का नाम		-----
2.	कर्मशाला का पूरा पता		-----
3.	(क) क्या परिसर स्वामित्व में/किराये पर/पट्टे पर लिया गया है तो आवश्यक अभिलेख संलग्न करें। (ख) स्थापना की तिथि		-----
4.	स्वात्वधारी (स्वात्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम (नामों) और पता (पते)-		-----
5.	दुकान/प्रतिष्ठान/चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और तिथि		-----
6.	व्यवसाय कर/आयकर पंजीकरण संख्या आदि, यदि कोई है		-----
7.	मरम्मत किये जाने वाले प्रस्तावित बाटों और मापों की किस्म		-----
8.	क्षेत्र जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं		-----

9. कार्य क्षेत्र में अपना पूर्व अनुभव बतायें -----
 10. नियोजित/नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों
 की संख्या -----
 (i) कुशल -----
 (ii) अर्ध कुशल -----
 (iii) अकुशल -----
 (iv) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी -----
 11. उपलब्ध मशीनरी/औजारों/उपसाधनों का विवरण -----
 12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता -----
 13. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाट आदि का
 पर्याप्त स्थाक है ? कृपया उसका ब्योरा दीजिये -----
 14. क्या आपने इस मरम्मतकर्ता लाइसेंस के लिए
 इससे पूर्व आवेदन किया है ? यदि हाँ, तो कब
 और इस आवेदन का क्या परिणाम हुआ ? -----

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस नियंत्रक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए
आवेदन प्राप्ति की तिथि :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण की तिथि :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति:

स्थान

दिनांक

निरीक्षण अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

नियंत्रक का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

लाइसेंस संख्या

.....तक विधिमान्य।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-IV

[देखिये नियम 4]

प्ररूप-एल.डी.-1

[व्यवहारी के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम संख्या	प्रविष्टि	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1.	2.	3.	4.
1.	लाइसेंस चाहने वाले प्रतिष्ठान/दुकान/व्यक्ति का नाम	-----	
2.	प्रतिष्ठान आदि का पूरा पता	-----	
3.	स्थापना की तिथि	-----	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम (नामों) के साथ नाम और पता (पते)-	-----	
5.	चालू दुकान/प्रतिष्ठान/चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और पंजीकरण संख्या की तिथि	-----	
6.	विक्रय के लिये वर्तमान में प्रस्तावित बाटों और मापों का प्रवर्ग-	-----	
7.	वैट/सी०एस०टी०/व्यवसाय कर/आयकर/बिक्री कर पंजीकरण की संख्या-	-----	
8.	क्या आप बाटों आदि का राज्य/देश से बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो उनकी पूर्ति का स्रोत बताइए। (विनिर्माता के व्यापार चिह्न/मोनोग्राम के ब्योरे और उसकी	-----	

लाइसेंस संख्या दीजिए) और दीजिये -

(क) बाटों और मापों के आयातकर्ता की पंजीकरण

संख्या, यदि कोई है;

(ख) भारत में आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार
का नमूना अनुमोदन

9. क्या आपने कभी इस राज्य में या अन्यत्र⁻⁻⁻⁻⁻
व्यवहारी के लाइसेंस के लिए पहले भी आवेदन
किया है ? यदि हाँ तो ब्योरे दीजिए।

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम,
2009 और हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है
और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले
प्रशासकीय आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस नियंत्रक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की
जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही
है।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति की तिथि :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण की तिथि :

निरीक्षण अधिकारी की संस्कृति:

स्थान.....

दिनांक

निरीक्षण अधिकारी के

हस्ताक्षर और पदनाम

नियंत्रक का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

लाइसेंस संख्या

..... तक विधिमान्य।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-V

[देखिये नियम 4 (2)]

प्ररूप-एल.एम.-2

[विनिर्माता के रूप में लाइसेंस के नवीनकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम संख्या	प्रविष्टि	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3	4
1.	विनिर्माता समुत्थान का नाम और पूरा पता, जिसके लिये लाइसेंस का नवीकरण वांछित है-		
2.	विनिर्माता लाइसेंस संख्या-		
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)-		
4.	(क) ऐसे बाटों और मापों की किस्म जिनका किया जाता है-		
	(छ) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं ?		
5.	आपके द्वारा विनिर्भर्ता बाटों और मापों पर प्रयुक्त मोनोग्राम या व्यापार चिह्न-		
6.	कर्मशाला में उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे-		
7.	विगत पाँच वर्षों में उत्पादन और विक्रय का विवरण-		
8.	दुकान/समुत्थान की पंजीकरण संख्या और दिनांक वैट/बिक्रीकर/सी०एस०टी०/व्यवसाय कर/आयकर/पंजीकरण संख्या-		
9.			

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रबत्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासकीय आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक को उप कोषागार/बैंक में
..... ₹ (केवल ₹) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

उपरोक्त समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-VI

[देखिये नियम 4 (2)]

प्ररूप-एल.आर.-2

[मरम्मत करने वाले के रूप में लाइसेंस के नवीनकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम संख्या	प्रविष्ट संख्या	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण की टिप्पणी
1	2	3	4
1.	लाइसेंस का नवीनकरण चाहने वाले मरम्मतकर्ता समुत्थान/व्यक्ति का नाम और पूरा पता-	मरम्मतकर्ता	-----
2.	मरम्मतकर्ता की लाइसेंस संख्या -	-----	-----
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)-	-----	-----
4.	वर्तमान दुकान/समुत्थान/नगरपालिका व्यापार लाइसेंस का पंजीकरण संख्या और दिनांक -	-----	-----
5.	वैट/विक्री कर/केन्द्रीय विक्रय कर/व्यवसाय कर/आयकर/पंजीकरण संख्या -	-----	-----
6.	(क) ऐसे बाटों और मापों की किस्में जिनका स्वीकृत लाइसेंस के अनुसार मरम्मत की जाती है- (ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते है ?	-----	-----
7.	क्षेत्र, जिसमें आप क्रियाशील है -	-----	-----
8.	क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाटों आदि का पर्याप्त स्टोक है-	-----	-----
9.	स्टाम्पन की विशिष्टियों सहित ब्योरे दीजिए -	-----	-----

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है। उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रदासकीय आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ हैं।

मैंने/हमने दिनांक को उप कोषागार/बैंक में रु. (₹.....मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपरोक्त दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-VII

[देखिये नियम 4 (2)]

प्ररूप-एल.डी.-2

[व्यवहारियों के रूप में लाइसेंस के नवीनकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम संख्या	प्रविष्ट	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3	4
1.	लाइसेंस का नवीनकरण चाहने वाले अधिष्ठान/दुकान/व्यक्ति का नाम और पता-		-----
2.	व्यवहारी लाइसेंस संख्या -		-----
3.	स्थापना का दिनांक-		-----
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)-		-----
5.	वर्तमान दुकान/समुत्थान/नगरपालिका व्यापार लाइसेंस संख्या और दिनांक -		-----
6.	वर्तमान में बेचे जाने वाले बाटों और मापों का प्रवर्ग-		-----
7.	वैट/बिक्री कर/केन्द्रीय विक्रय कर/व्यवसाय कर/आयकर/पंजीकरण संख्या-		-----
8.	क्या आप राज्य/देश के बाहर के स्थानों से बाटों और मापों आदि का आयात करना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो राज्य (राज्यों)/देश(देशों) से आपूर्ति के स्रोत इंगित करें। (विनिर्माता के व्यापार चिह्न/मोनोग्राम का ब्योरा और उसकी लाइसेंस संख्या दीजिए)		-----

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहभत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक को उप कोषागार/बैंक में
..... (केवल र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

उपरोक्त समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-VIII

[देखिये नियम 4 (3)]

प्ररूप-एल.एम.-3

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों के विनिर्माण के लिये लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

वर्ष

1. विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक इसके द्वारा

को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित के विनिर्माण के लिये
लाइसेंस स्वीकृत करते है :-

(यहां उन बाटों, मापों तौल के उपकरणों या माप उपकरणों के ब्योरे दीजिए, जिन्हें
पक्षकार द्वारा विनिर्मित किये जाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए -----
----- में अवधिथित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में है।
3. यह लाइसेंस ----- से ----- तक विधिमान्य है।
4. विनिर्माता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से
किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द
किया जा सकेगा।
5. विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाने वाला व्यापार चिह्न/मोनोग्राम
निम्नलिखित रूप में है :-

(मोहर)

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर)

नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान,
हरियाणा सरकार।

टिप्पणी - फर्म की दशा में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त
व्यक्तियों के नाम पैरा-1 में दिये जायेंगे।

लाइसेंस की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है वह -
 - (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा ;
 - (ख) समय-समय पर संशोधित अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा ;
 - (ग) इस लाइसेंस को उस परिसर के, जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा ;
 - (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाये ;
 - (ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति में और/या लाइसेंस के रद्दकरण पर लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा ;
 - (च) यथास्थिति, विनिर्मित और राज्य में प्रयोग के उद्देश्य के लिये बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों की बिक्री के पूर्व सत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ;
 - (छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन, लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति की तिथि से तीस दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा ।
 2. विनिर्माण और मरम्मत का कार्य नियमों तथा यथाविहित अर्हक व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा ।
 3. किसी अर्हक व्यक्ति को बदलाव की सूचना लाइसेंस जारी कर्ता प्राधिकारी को एक मास के भीतर देनी चाहिए ।
 4. फर्म के गठन में किसी बदलाव के बारे सूचना लाइसेंस जारी कर्ता प्राधिकारी को एक मास के भीतर देनी होगी ।
 5. इन नियमों की कोई भी बात लाइसेंसधारी को लाइसेंस निर्धार्य या हस्तान्तरणीय करने की शक्ति प्रदान नहीं करेगी।
- व्याख्या 1 :-** अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित मामलों में अर्थात् जहाँ अनुज्ञप्तिधारी कारबार को चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पर भागीदारी करता है ; किन्तु ऐसे किसी मामले में फर्म लाइसेंस का उपयोग तब तक कर सकती है, यदि अन्यथा केवल जब तक अनुज्ञप्तिधारी फर्म का सदस्य है। जहाँ अनुज्ञप्तिधारी फर्म होते हुए इसके गठन में पश्चातवर्ती कोई

परिवर्तन करता है, किन्तु किसी ऐसे मामले में पुनर्गठित फर्म लाइसेन्स का प्रयोग तब तक कर सकती है, यदि अन्यथा लाइसेन्स को जारी करने के समय मूल फर्म को कोई भागीदार, जब तक वह पुनर्गठित फर्म के भागीदार के रूप में बना रहता है, इस नियम के अर्थ के भीतर निर्धार्य या हस्तांतरणीय नहीं समझा जाएगा।

व्याख्या 2 :- व्याख्या 1 के प्रयोजन के लिए "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया है।

नवीकरण प्रविष्टियाँ

चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया ।	चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया ।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया ।	चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया ।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया ।	चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया ।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक

अनुसूची-IX

[देखिये नियम 4 (3)]

प्ररूप-एल.आर.-3

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय
बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप उपकरणों को मरम्मत के लिये
लाइसेंस
लाइसेंस संख्या
वर्ष
1. विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक इसके द्वारा

को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित के मरम्मत के लिये
लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।

(यहां उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योरे दीजिए,
जिन्हें पक्षकार द्वारा मरम्मत किये जाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए ————— में अवस्थित उसकी
कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।
3. यह लाइसेंस ————— से ————— तक विधिमान्य है।
4. मरम्मतकर्ता नीचे अंकित शर्तों को अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से
किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द
किया जाने के लिए दायी होगा।
5. पक्षकार को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बाटों, मापों, तौल या माप के
उपकरणों की मरम्मत करने के लिये लाइसेंस दिया जाता है।

(मोहर)

स्थान

(हस्ताक्षर)

दिनांक

नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान,

हरियाणा

टिप्पण :- फर्म की दशा में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त
व्यक्तियों के नाम पैरा-(1) में दिये जाने चाहिये।

लाइसेंस की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाए वह ,
(क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।
(ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा ;
(ग) इस लाइसेंस को उस परिसर के जिससे इसको सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा ;
(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाये ;
(ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति में और/या लाइसेंस के रद्दकरण पर लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा ;
(च) (i) सम्यक् रूप से मरम्मत किये गये यथास्थिति बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को उपयोक्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14(1) में विनिर्दिष्ट सत्यापन और स्टाम्प के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ;
 (ii) बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्त होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहाँ इस प्रक्रिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प मिट जाती है, अलग हो जाती है या टूट जाती है, उसे उपयोक्ता को देने के पूर्व सम्यक् रूप से मरम्मत करते हुए पुनः सत्यापन और स्टाम्प के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ;
(छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन, लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के नब्बे दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा ।
2. निर्माता और मरम्मतकर्ता का कार्य अर्हक व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा ।
3. किसी प्रकार के योग्य व्यक्तियों के बदलने के बारे की सूचना लाइसेंस जारी कर्ता प्राधिकारी को एक महीने के भीतर देनी चाहिए ।
4. फर्म के गठन में किसी बदलाव के बारे सूचना लाइसेंस जारी कर्ता प्राधिकारी को एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए ।

5. लाइसेंसधारी को इन नियमों की कोई भी बात, लाइसेंसधारी को लाइसेंस हस्तांतरणीय होगी।

व्याख्या 1 :- अनुजपिधारी निम्नलिखित मामलों में अर्थात् जहाँ अनुजपिधारी कारबार को चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पर भागीदारी करता है किन्तु ऐसे किसी मामले में फर्म लाइसेंस का उपयोग तब तक कर सकती है, यदि अन्यथा केवल जब तक अनुजपिधारी फर्म का सदस्य है। जहाँ अनुजपिधारी फर्म होते हुए इसके गठन में पश्चातवर्ती कोई परिवर्तन करता है, किन्तु किसी ऐसे मामले में पुनर्गठित फर्म लाइसेंस का प्रयोग तब तक कर सकती है, यदि अन्यथा लाइसेंस को जारी करने के समय मूल फर्म को कोई भागीदार, जब तक वह पुनर्गठित फर्म के भागीदार के रूप में बना रहता है। इस नियम के अर्थ के भीतर निर्धार्य या हस्तांतरणीय नहीं समझा जाएगा।

व्याख्या 2 :- व्याख्या 1 के प्रयोजन के लिए 'फर्म' का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया है।

6. नियंत्रक बाट या माप के लिए न्यूनतम मरम्मत प्रभार की स्थापना के लिए ऐसे स्थान तथा ऐसी रीति में जो वह उचित समझे, उत्तरदायित्व के रूप में समन्वित कार्यक्रम कराएगा। मरम्मतकर्ता अधिकतम मरम्मतकर्ता प्रभारों की सीमा को स्वीकार करेगा।

नवीकरण प्रविष्टियाँ

अनुसूची X

[देखिये नियम 4 (3)]

प्ररूप-एल.डी.-3

हरियाणा सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप उपकरणों की मरम्मत
के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या वर्ष

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक इसके द्वारा

को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित के मरम्मत के लिये
लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।

(यहां उन बाटों, मापों तथा तौल या माप के उपकरणों के ब्योरे दीजिए, जिन्हें
पक्षकार द्वारा व्यवहार किये जाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए ----- में अवस्थित उसके
परिसर के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस ----- से ----- तक विधिमान्य है।

4. व्यवहारी नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से
किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द
किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(मोहर)

स्थान

(हस्ताक्षर)

दिनांक

नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
हरियाणा।

टिप्पणी :- फर्म की दशा में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त
व्यक्तियों के नाम पैरा-(1) में दिये जाने चाहिये।

लाइसेंस की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है वह,-
 - (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा ;
 - (ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा ;
 - (ग) इस लाइसेंस को उस परिसर के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा ;
 - (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाये ;
 - (ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति में और/या लाइसेंस के रद्दकरण पर लाइसेंस अभ्यर्थित करेगा ;
 - (च) लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति नब्बे दिन के भीतर नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा ;
 - (छ) किसी अमानक बाट या माप को न तो बेचेगा, न बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, न प्रदर्शित करेगा और न कब्जे में रखेगा ।
2. पार्टी के गठन में किसी प्रकार के संशोधन के बारे एक महीने के अन्दर लाइसेंस जारी कर्ता को सूचित किया जाए ।
3. इन नियमों की कोई भी बात लाइसेंसधारी को लाइसेंस निर्धार्य या हस्तान्तरणीय अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

व्याख्या 1 :- अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित मामलों में :-

- (क) इस नियम के अर्थ के भीतर निर्धार्य या हस्तान्तरणीय नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :- 11(क) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी कारबार को चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पर भागीदारी करता है किन्तु ऐसे किसी मामले में फर्म लाइसेंस का उपयोग तब तक कर सकती है, यदि अन्यथा केवल जब तक अनुज्ञप्तिधारी फर्म का सदस्य है।
- 11(ख) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी फर्म होते हुए इसके गठन में पश्चातवर्ती कोई परिवर्तन करता है, किन्तु किसी ऐसे मामले में पुनर्गठित फर्म लाइसेंस को जारी करने के समय मूल फर्म को कोई भागीदार, जब तक वह पुनर्गठित फर्म के भागीदार

के रूप में बना रहता है। व्याख्या 2 : व्याख्या 1 के प्रयोजन के लिए "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया।

व्याख्या 2 :- व्याख्या 1 के प्रयोजनों के लिए "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में दिया गया।

नवीकरण प्रविष्टियाँ

चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक	चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक	चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक	चालू संख्या दिनांक वर्ष के लिए नवीकृत किया गया।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक

अनुसूची XI

[दाखिये नियम 4(4) तथा (5)]

प्ररूप-एल.डी.-3

कार्यालय नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान

बाटों और मापों के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं या व्यवहारियों के लिए¹
लाइसेंस और नवीकरण फीस:

(1) लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस नवीकरण के लिए -

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (i) विनिर्माताओं | ₹ 5000/-प्रति वर्ष |
| (ii) मरम्मतकर्ताओं | ₹ 2000/-प्रति वर्ष |
| (iii) व्यवहारियों | ₹ 1000/-प्रति वर्ष |

अनुसूची XII

[देखिये नियम 4 (6)]

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय
 बाटों, मापों, तौल/माप के उपकरणों के लाइसेंस प्राप्त
 विनिर्माताओं/मरम्मतकर्ताओं/व्यवहारियों का रजिस्टर

.....का कार्यालय

लाइसेंस	जारी करने/	विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/	स्थान जहाँ	विनिर्मित/मरम्मत/बेची
संख्या	नवीनीकरण	व्यवहारी का नाम और	कर्मशाला/	जाने वाली वस्तुएं
	की तिथि	पूरा पता	कारखाना	

1 2 3 4 5

प्रयुक्त व्यापार	लाइसेंस के रद्द	अपील का परिणाम	सक्षम प्राधिकारी	टिप्पणी
चिह्न/	करने से सम्बन्धित		के हस्ताक्षर	
मोनोग्राम	आदेश			

6 7 8 9 10

टिप्पणी- खाना (4) व्यवहारियों पर लागू नहीं होता है। खाना (6) मरम्मतकर्ताओं
 और व्यवहारियों पर लागू नहीं होता है।

अनुसूची XIII

[देखिये नियम 4 (8)]

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

लाइसेंस प्राप्त मरम्मतकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निषेच
बाटों और मापों के, जिनके अन्तर्गत बाट और माप के उपकरण भी हैं, के
मरम्मतकर्ता -----5000.00 ₹

अनुसूची XIV

[देखिये नियम 6]

विनिर्माताओं द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1. विनिर्माता का नाम और पता-
2. बाट तथा माप का वर्णन
3.
 - (i) विनिर्माता लाइसेंस संख्या
 - (ii) तिथि जब लाइसेंस जारी किया गया था
 - (iii) लाइसेंस को विधिमान्यता की अवधि हो,
4. लाइसेंस को निलम्बित या प्रतिसंहित करने वाले आदेश का, यदि कोई

विवरण:

क्रम संख्या	मास	पूर्व मास का अंविक्ति स्टाक	मास के दौरान विनिर्मित मात्रा	कुल (3+4)
1	2	3	4	5

राज्य के भीतर विक्रय किया गया	राज्य के भीतर विक्रय किया गया	कुल	अतिशेष	टिप्पणी
विक्रित मर्दों सम्प्रेषण बाउचर	राज्य विक्रित संप्रेषण बाउचर	(6+9)	(5-11)	
की संख्या की संख्या	का मर्दों की की संख्या			
व दिनांक	नाम संख्या व दिनांक			

6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	----	----	----	----

अनुसूची XV

[देखिये नियम 6]

प्ररूप-एल.आर.-4

मरम्मतकर्ता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

मरम्मतकर्ता का नाम और पता	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस की तिथि
क्रम दिनांक	प्रयोगकर्ता का नाम	मरम्मत के लिए बुक	प्रयोगकर्ता को दी
संख्या	जिससे प्राप्त हुआ है	की गई मद्दें और	गई रसीद संख्या
		उनकी संख्यायें	और दिनांक
1	2	3	4
			5

मरम्मत प्रभारों की धनराशि	सत्यापन फीस की धनराशि	प्रभारित कुल धनराशि	प्रयोगकर्ता को वापस करने का दिनांक	टिप्पणी
6	7	8	9	10

अनुसूची XVI

[दैखिये नियम 6]

प्ररूप-एल.डी.-4

व्यवहारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1. व्यवहारी का नाम और पता
2. बाट या माप का वर्णन
3. (i) व्यवहारी लाइसेंस संख्या
- (ii) लाइसेंस जारी करने की तिथि
- (iii) लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि
4. लाइसेंस के निलम्बन या प्रतिसंहरण करने वाले आदेश, यदि कोई हो, विवरण
5. बाट या माप का प्रवर्ग (क तथा ख)

क्रम	मास	पूर्व मास का संख्या	मास के दौरान अविक्रित स्थाक	मास के दौरान राज्य के भीतर से लाया गया	मास के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया	योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	

राज्य के भीतर विक्रय किया गया	राज्य के भीतर विक्रय किया गया	कुल अतिशेष टिप्पणी
विक्रीत मदों संप्रेषण बाउचर	विक्रीत संप्रेषण बाउचर	राज्य (7+9) (6-12)
की संख्या की संख्या	मदों की की संख्या	का
व दिनांक	संख्या व दिनांक	नाम
7	8	9 10 11 12 13 14

अनुसूची XVII

[देखिये नियम 8 (3)]

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

सत्यापन प्रमाण-पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम संख्या
 मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज दिनांक
 को परिक्षेत्र से नीचे डाल्लखित बाटों, मापों इत्यादि
 को सत्यापित और स्टापित/अस्वीकार कर दिया है।

मात्रा	अंकित मान		तौल के उपकरण				माप के उपकरण	सत्यापन फीस ₹	बहन, प्रवहन, समायोजन प्रभार आदि
	बाट	माप	क्षमता	श्रेणी	विनिर्माता	किस्म			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... के द्वारा मरम्मत की गई/प्रस्तुत कोषागार रसीद/धन राशि रसीद संख्या.....
 किया गया।

..... (हस्ताक्षर)

दिनांक द्वारा

जमा किये गये कुल ₹

आगला सत्यापन को देय है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी

टिप्पणी:- अस्वीकृत बाटों, मापों आदि के सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान अधिकारी
 प्रत्येक मद के विरुद्ध अस्वीकार किये जाने का कारण उल्लेख करते हुए अलग से
 अस्वीकृति का प्रमाण-पत्र देय।

अनुसूची XVIII

[देखिये नियम 9]

बाटों तथा मापों तथा तोलने और मापने के उपकरणों के सत्यापन और स्थापन के
 लिए भुगतान योग्य फीस

1. (क) बुलियन बाट

मूल्य वर्ग (1)	प्रति बाट फीस ₹ में (2)
10 किलोग्राम	30
5 किलोग्राम	20
2 किलोग्राम	20
1 किलोग्राम	20
500 ग्राम	15
200 ग्राम	15
100 ग्राम	15
50 ग्राम	15
20 ग्राम	15
10 ग्राम	15
5 ग्राम	15
2 ग्राम	15
1 ग्राम	15
(ख) कैरेट बार	
100 ग्राम (500कैरेट)	20.00
40 ग्राम (200कैरेट)	20.00
20 ग्राम (100कैरेट)	20.00
10 ग्राम (50कैरेट)	20.00

(1)	(2)
4 ग्राम (20कैरेट)	20.00
2 ग्राम (10कैरेट)	20.00
1 ग्राम (5कैरेट)	20.00
400 मिलीग्राम (2कैरेट)	20.00
200 मिलीग्राम (1कैरेट)	20.00
100 मिलीग्राम (0.5कैरेट)	20.00
40 मिलीग्राम (0.2कैरेट)	20.00
20 मिलीग्राम (0.1कैरेट)	20.00
10 मिलीग्राम (0.05कैरेट)	20.00
4 मिलीग्राम (0.02कैरेट)	20.00
2 मिलीग्राम (0.01कैरेट)	20.00
1 मिलीग्राम (0.005कैरेट)	20.00
(ग) बेलनाकार दस्ता किसम बाट -	प्रति बाट फीस ₹ में
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00

(1)	(2)
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00
(घ) चादरी धातु बाट (बुलियन से भिन्न) मूल्य वर्ग (1)	प्रति बाट फीस ₹ में (2)
500 मिलीग्राम	5.00
200 मिलीग्राम	5.00
100 मिलीग्राम	5.00
50 मिलीग्राम	5.00
20 मिलीग्राम	5.00
10 मिलीग्राम	5.00
5 मिलीग्राम	5.00
2 मिलीग्राम	5.00
1 मिलीग्राम	5.00
(ङ) लोहा षट्कोणीय दस्ता किस्म बाट तथा समानान्तरष्टफलक बाट- मूल्य वर्ग (1)	प्रति बाट फीस ₹ में (2)
50 किलोग्राम	25.00
20 किलोग्राम	20.00
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	10.00

(1)	(2)
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00
(च) उच्च क्षमता तोल मशीन के परीक्षण के लिए मानक बाट -	
मूल्य वर्ग	अनुरेय सम्बन्ध सूचक गलती की अधिकतम अनुकूल फीस 0.5 /10,000 ₹ में
100 किलोग्राम	75.00
200 किलोग्राम	150.00
500 किलोग्राम	300.00
1,000 किलोग्राम	750.00
2,000 किलोग्राम	1,500.00
5,000 किलोग्राम	3,000.00
	50.00
	100.00
	200.00
	500.00
	1,000.00
	2,000.00

2. क्षमता माप - मूल्य वर्ग (1)	प्रति इकाई फीस ₹ में (2)
100 लीटर और उससे अधिक	पहले 100 लीटर के लिए 50 ₹ जमा अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 7 ₹ अधिकतम 5000 ₹ के अध्यधीन है।
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मिली लीटर	10.00
200 मिली लीटर	10.00
100 मिली लीटर	10.00
50 मिली लीटर	10.00
20 मिली लीटर	10.00
10 मिली लीटर	10.00
5 मिली लीटर	10.00
2 मिली लीटर	10.00
1 मिली लीटर	10.00
3. लम्बाई माप - (क) अनन्य - मूल्य वर्ग माप	प्रति इकाई फीस ₹ में
2 मीटर	10.00
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	20.00
1 मीटर (अशांकित प्रत्येक सैटीमीटर पर)	20.00
0.5 (अशांकित प्रत्येक सैटीमीटर पर)	20.00

(ख) कपड़ा प्लास्टिक/बुना हुआ स्टील टेपस	
यथार्थता वर्ग (1)	प्रति मीटर फीस ₹ में (2)
वर्ग - I	1.00
वर्ग - II	0.50
वर्ग - III	0.50
(ड) फोल्डिंग तुलाएं-	
मूल्य वर्ग (1)	प्रति बाट फीस ₹ में (2)
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	10.00
(च) सर्वेक्षण चेन-	
मूल्य वर्ग (1)	प्रति बाट फीस ₹ में (2)
30 मीटर	100.00
20 मीटर	100.00
4. डंडी वाली मूल्य वर्ग श्रेणी के तथा ख -	
मूल्य वर्ग (1)	प्रति बाट फीस ₹ में (2)
200 किलोग्राम	400.00
100 किलोग्राम	300.00
50 किलोग्राम	150.00
20 किलोग्राम	150.00
10 किलोग्राम	150.00
5 किलोग्राम	100.00
2 किलोग्राम	100.00
1 किलोग्राम	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

5. ढंडी वाली मूल्य वर्ग श्रेणी ग तथा घ-	प्रति बाट फीस ₹ में
मूल्य वर्ग (1)	(2)
1000 किलोग्राम	200.00
500 किलोग्राम	200.00
300 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	100.00
100 किलोग्राम	100.00
50 किलोग्राम	50.00
20 किलोग्राम	20.00
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	15.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00
6. अस्वचालित तोल उपकरण-मैकेनिकल (तुल्यरूप) फीस ₹ में	
श्रेणी III तथा IV -	
400 टन	4,000.00
300 टन	3,000.00
200 टन	3,000.00
150 टन	2,000.00
100 टन	2,000.00
80 टन	2,000.00
60 टन	2,000.00
50 टन	2,000.00
40 टन	2,000.00

(1)	(2)
30 टन	2,000.00
25 टन	2,000.00
20 टन	2,000.00
15 टन	2,000.00
10 टन	1,000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1,500 किलोग्राम	300.00
1,000 किलोग्राम	300.00
500 किलोग्राम	300.00
300 किलोग्राम	200.00
250 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	100.00
150 किलोग्राम	100.00
100 किलोग्राम	100.00
50 किलोग्राम	100.00
30 किलोग्राम	100.00
25 किलोग्राम	60.00
20 किलोग्राम	60.00
15 किलोग्राम	30.00
10 किलोग्राम	30.00
5 किलोग्राम	30.00
3 किलोग्राम	30.00

(1)	(2)
2 किलोग्राम	30.00
1 किलोग्राम	15.00
500 ग्राम और उससे कम	15.00
7. अस्वचालित तोल उपकरण-इलैक्ट्रोनिक श्रेणी III तथा IV -	फीस ₹ में
400 टन	4,000.00
300 टन	3,000.00
200 टन	3,000.00
150 टन	2,000.00
100 टन	2,000.00
80 टन	2,000.00
60 टन	2,000.00
50 टन	2,000.00
40 टन	2,000.00
30 टन	2,000.00
25 टन	2,000.00
20 टन	2,000.00
15 टन	2,000.00
10 टन	1,000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1,500 किलोग्राम	250.00
1,000 किलोग्राम	250.00

(1)	(2)
500 किलोग्राम	250.00
300 किलोग्राम	200.00
250 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	200.00
150 किलोग्राम	200.00
100 किलोग्राम	200.00
50 किलोग्राम	200.00
30 किलोग्राम	200.00
25 किलोग्राम	200.00
20 किलोग्राम	100.00
15 किलोग्राम	100.00
10 किलोग्राम	100.00
5 किलोग्राम	100.00
3 किलोग्राम	100.00
2 किलोग्राम	100.00
1 किलोग्राम	100.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00
8. अस्वचालित तोल उपकरण-यैकेनिकल तथा इलैक्ट्रोनिक दोनों श्रेणी । तथा ॥ -	फीस ₹ में
50 टन से अधिक क्षमता	3,000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2,000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1,000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किलोग्राम से अधिक	500.00
50 किलोग्राम से अनधिक किन्तु 10 किलोग्राम से अधिक	250.00
10 किलोग्राम से अनधिक	200.00

स्वचालित तौल उपकरण -	फीस ₹ में
100 टन से अधिक क्षमता	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किलोग्राम से अधिक	500.00
50 किलोग्राम से अनधिक किन्तु 10 किलोग्राम से अधिक	250.00
10 किलोग्राम से अनधिक	200.00
10. आयतन मापक उपकरण -	
(क) डिएप्सिंग पम्प प्रत्येक पम्प	1,000.00 ₹ प्रति इकाई
(ख) योगकरण कार्डर	500.00 ₹ फीस प्रति फीस इकाई
(ग) अन्य उपकरण क्षमता 100 लीटर से अधिक	पहले 100 लीटर के लिए 500 ₹ जमा प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 250 ₹
100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक	500.00 ₹
50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक	250.00 ₹
20 लीटर से अनधिक	200.00 ₹
11. फलो मीटर -	
100 लीटर/मिनट तक फलो दर	2,000.00 ₹
100 लीटर मिनट से ऊपर	3,000.00 ₹
500 लीटर तक	
500 लीटर 1 मिनट से ऊपर	5,000.00 ₹

12. रेखीय मापक उपकरण -	
टैक्सी, आटोरिक्शा मीटर	100.00 ₹
अन्य मीटर	पहले 1 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 50 ₹ जमा प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए 5 ₹
13. चिकित्सा थर्ममीटर -	50 पैसे/थर्ममीटर
14. पानी का मीटर -	25 ₹ प्रति इकाई
15. पैग मापक -	
30 मिली लीटर	50.00 ₹
60 मिली लीटर	50.00 ₹
100 मिली लीटर	50.00 ₹

16. सी०एन०जी०

- (क) डिस्पैसर 1000.00 ₹ प्रति इकाई
 (ख) योगकरण काउंटर 500.00 ₹ प्रति इकाई

17. एल०पी०जी०

- (क) डिस्पैसर 1000.00 ₹ प्रति इकाई
 (ख) योगकरण काउंटर 500.00 ₹ प्रति इकाई

18. धर्म कांटे का सत्यापन मोबाइल किट 3000.00 ₹ प्रति इकाई
 के साथ

19. (i) कांटर मशीन 10 कि० ग्राम तक 30.00 ₹ प्रति इकाई
 की क्षमता वाली
 (ii) कांटर मशीन 10 कि० ग्राम से 50.00 ₹ प्रति इकाई
 ज्यादा क्षमता वाली

अनुसूची- XIX

[देखिये नियम 12(1)]

विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप

1. अपीलकर्ता का नाम और पता -
2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान का आदेश संख्या तथा दिनांक, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है -
3. क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई चाहता है -
4. अपील का आधार -

अनुसूची-XX

(देखिए नियम- 13)

अपराधों के प्रशमन के लिए फीस

क्रम संख्या	अपराध का प्रकार	धारा	दाण्डक धारा	व्यक्तिगत/एच०य०एफ०/ स्वामी/फर्म/फर्म/सोसाइटी/ का भागीदार/सोसाइटी/ न्यास/ न्यासों का निदेशक	कम्पनी/कम्पनी/ सरकारी विभाग/ स्थानीय प्राधिकरण का निदेशक
1.	अमानक बाट या माप का उपयोग	8(3)	25	5000 ₹	25000 ₹
2.	अमानक बाट या माप का विनिर्माण या विक्रय	8(4)	27	10000 ₹	20000 ₹
3.	विहित मानक के उल्लंघन में कोई संव्यवहार या संविदा करना	10	28	5000 ₹	10000 ₹
4.	अमानक इकाईयों का उद्धरण या प्रकाशन इत्यादि करना।	11	29	5000 ₹	10000 ₹
5.	मानक बाट तथा माप के उल्लंघन में संव्यवहार	12	30	5000 ₹	10000 ₹
6.	दस्तावेजों इत्यादि को प्रस्तुत न करना	15(2), 17	31	1000 ₹	5000 ₹
7.	असत्यापित बाट तथा माप का प्रयोग करना।	24(1), 33	33	2000 ₹	10000 ₹

424 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 12, 2011
 (VYSK. 22, 1933 SAKA)

8.	अमानक बाट तथा माप द्वारा वस्तुओं इत्यादि को विक्रय या परिदान	34	34	3000 ₹	5000 ₹
9.	नम्बर पर अमानक भार माप द्वारा सेवाएं देना	35	35	3000 ₹	5000 ₹
10.	प्री पैकेजड वस्तुओं के सम्बन्ध में छोषणा की अनुपालना	18(1)	36(1)	5000 ₹	25000 ₹
11.	विनिर्माता द्वारा प्री-पैकेजड वस्तुओं की अपेक्षित शुद्ध मात्रा की अनुपालना	18(1)	36(2)	10000 ₹	20000 ₹
12.	बिना लाइसेंस के बाट तथा माप का विनिर्माता	23	45	10000 ₹	20000 ₹
13.	बिना लाइसेंस के बाट या माप की मरम्मत विक्रय इत्यादि	23	46	2500 ₹	5000 ₹
14.	लाइसेंस में फेर-बदल	47	47	10000 ₹	20000 ₹
15.	अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध	53(3)	53(3)	2500 ₹	5000 ₹

नवराज सन्धि,
 वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
 खाद्य तथा पूर्ति विभाग।